न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 174–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 567/11–12/अपील.

रूपेश अग्रवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल
निवासी गीता कॉलौनी, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मुन्नीबाई पुत्री तुलुआ पत्नी माधौसिंह अहीपुरा
2– राजाराम पुत्र तुलुआ
निवासी पुरानी छावनी
3– बसंतीबाई पुत्री तुलुआ पत्नी रमेश
निवासी पारसेन
4– बैजो पुत्री तुलुआ पत्नी हरिनिवास
निवासी जौरा
5– अजुद्धीबाई पुत्री तुलुआ फोत वारिस
सुखी पत्नी जगन
निवासी महलगांव
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, एवं
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 9/3/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 32 पर पारित आदेश दिनांक 20–2–94 एवं पंजी कमांक 50 पर पारित आदेश दिनांक 15–7–2000 के विरूद्ध अनावेदिका कमांक 1 मुन्नीबाई द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–5–2012 को आदेश पारित कर सभी वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–2012 को आदेश पारित कर अपील सारहीन होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 8–12–2016 को अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों मे मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उल्लिखित किये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक आधिपत्यधारी एवं कब्जाधारी है, जो कि आवश्यक पक्षकार है, और उसे बिना पक्षकार बनाये नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(2) नामांतरण नियमों के नियम 27 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है ।

(3) आवेदक की फर्म राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष होने के आधार पर अपर आयुक्त को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव एवं नामांतरण आदेश के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, और 17 वर्ष पश्चात

समय बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पीठ पीछे कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी की उसके भाई राजाराम ने राजस्व निरीक्षक एवं शासकीय कर्मचारियों की मिलीभगत से षडयंत्रपूर्व नामांतरण करा लिया गया है, उक्त तथ्य का निराकरण बिना साक्ष्य के नहीं हो सकता था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य लिये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी तुलुआ के वे उत्तराधिकारी हैं, और तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि जहां हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया हो, वहां समय–सीमा का बिन्दु लागू नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मृतक भूमिस्वामी के सभी विधिक वारिसानों का नामांतरण करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

4/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा मृतक भूमिस्वामी तुलुआ के केवल राजाराम एवं रामप्यारी को ही वारिस दर्शाया गया है एवं अन्य पुत्र–पुत्रियों को वारिसान के रूप में नहीं दर्शाया गया है, जबकि वे प्रथम श्रेणी के वारिस हैं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य कर सभी वारिसान के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर